फर्द अहकाम

श्रीमती मीना बनाम अशोक यादव वगैरह

174/2016

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई बहसुनाई फरीकेन उभय। अहल कुर्रेजात रिपोर्ट पर पूर्व में सुनी जा चुकी है बाबत दरख्वास्त मनाही किया लहरीकाटे जाने कुर्रेजात रिपोर्ट तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात बाद बहसें गुलाबिन कुर्रेजात रिपोर्ट आखिर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से प्रारूपित हो। कुर्रेजात रिपोर्ट के निर्णय की कापी पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर रिकार्ड के बाद नकलें वास्ते दफ्तर की। निर्णय आज दिनांक 14/2/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर एवम् कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय